भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2553

02 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना

2553. श्रीमती केशरी देवी पटेल:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रयागराज सहित उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने का विचार है;

(ख) प्रयागराज सहित जिले-वार उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए/स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशनों का ब्यौरा और संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग और आपूर्ति को देखते हुए निर्माण कंपनियों के साथ कीमतें तय करने के लिए और बातचीत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार उपरोक्त वाहनों की कीमतों को मध्यम वर्ग के परिवारों के बजट में लाने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) और (ख) : महोदय, भारी उद्योग मंत्रालय भारत में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल, 2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन से इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों के तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण स्कीम के चरण- II को अखिल भारतीय आधार (उत्तर प्रदेश सहित) पर प्रशासित कर रहा है। इस चरण में सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण के लिए सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और इसका लक्ष्य सब्सिडी के माध्यम से 7090 ई-बसों, 5 लाख ई-तिपहिया वाहनों, 55000 ई-चौपहिया यात्री कारों और 10 लाख ई-दुपहिया वाहनों के लिए सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं के बीच रेंज संबंधी चिंता को दूर करने के लिए चार्जिंग अवसंरचना के निर्माण हेतु भी सहायता प्रदान की जाती है।

भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम इंडिया स्कीम, चरण- II के तहत लखनऊ के लिए 37 चार्जिंग स्टेशन; वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर में से प्रत्येक के लिए 25 चार्जिंग स्टेशन; नोएडा के लिए 55 चार्जिंग स्टेशन, उत्तर प्रदेश राज्य में अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली और झांसी में प्रत्येक के लिए 10 चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत किए हैं।

(ग): महोदय, भारी उद्योग मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ): महोदय, इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देश में निम्नांकित कदम उठाए हैं:

i. 11 जून, 2021 से, फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण के तहत इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन को वाहन लागत सीमा के 20% से बढ़ाकर 40% करते हुए 10,000 रुपये/किलोवाट घंटे से बढ़ाकर 15,000 रुपये/किलोवाट घंटे कर दिया गया है। इस प्रकार, इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की लागत आईसीई दुपहिया वाहनों के बराबर हो गई है।

ii. सरकार ने देश में बैटरी की कीमतों को कम करने के लिए देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) विनिर्माण हेतु उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 12 मई, 2021 को मंजूरी दी। बैटरी की कीमत में गिरावट से इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी आएगी।

iii. इलेक्ट्रिक वाहनों को ऑटोमोबिल और ऑटो घटकों के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम में कवर किया गया है जिसे 15 सितंबर, 2021 को पांच वर्ष की अवधि के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था।

iv. इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है; इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी-चालित वाहनों को हरे रंग की लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।

vi. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथकर माफ करने की सलाह दी है जिसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रारंभिक लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

***